(3)

Dr. purnima singh
department of political Science

B.A part II paper III - Indian Government and politics. Topic - Fundamental Rights - Lecture - 53

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) - 2

स्वतन्त्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 - 22
(Right to Freedom, Article 19 - 22.

स्वतन्त्रता का अधिकार भी प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समानता का अधिकार। स्वतन्त्रता के अधिकार के कई रूप हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं।

1. विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - अनुच्छेद 19 में नागरिकों को निम्नलिखित स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई हैं _

(1) भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता (Freedom of speech and Expression)

भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता दी गई है। परन्तु यह स्वतन्त्रता असीमित नहीं है। क्योंकि इस स्वतन्त्रता पर सरकार निम्नलिखित आधारों पर बन्धन लगा सकती है _

(1) निरादर, अपमानजनक शब्द तथा झूठा अभियोग
(2) न्यायालय का अपमान
(3) शालीनता तथा नैतिकता
(4) राज्य की सुरक्षा
(5) सार्वजनिक व्यवस्था
(6) अपराध के लिए उत्तेजित करना

(2) प्रेस की स्वतन्त्रता (Freedom of press) भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रारूप समिति (Drafting Committee) के प्रधान डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते समय यह कहा था कि प्रेस की स्वतन्त्रता भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। 1978 में संसद द्वारा पारित किए गए पचवें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 361 ए अंकित किया गया था।

(3) शस्त्रों के बिना शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतन्त्रता। (Freedom to Assemble peacefully without Arms) — इस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को बिना हथियारों के शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

(4) समूह या संघ स्थापित करने की स्वतन्त्रता — मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार के संघों या समुदायों की आवश्यकता होती है। इसी कारण अनुच्छेद 19 के अधीन नागरिकों को संघ या समूह स्थापित करने की स्वतन्त्रता दी गई है। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं।

(5) समस्त भारत में घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता — भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी भाग में घूम-फिर सकता है। देश के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए कोई पारपत्र या आज्ञा प्राप्त

करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वतन्त्रता पर भी राज्य की ओर से साधारण जनता या किसी अनुसूचित कबीलों के हितों की रक्षा के लिए बन्धन लगाए जा सकते हैं।

(6) देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतन्त्रता - भारतीय नागरिक देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं तथा अपना निवास स्थान बना सकते हैं। परन्तु सरकार साधारण जनता के हितों के लिए या किसी अनुसूचित कबीले के हितों की रक्षा के लिए इस स्वतन्त्रता पर बन्धन लगा सकती है।

(7) कोई रोजगार, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतन्त्रता - भारत का प्रत्येक नागरिक अपना पेट भरने के लिए कोई भी व्यवसाय, रोजगार या व्यापार कर सकता है। लेकिन सरकार इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी प्रतिबन्ध लगा सकती है, यदि कोई ऐसा व्यवसाय है जो अनैतिक है। इसके अतिरिक्त विशेष रोजगार के लिए राज्य की ओर से शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ निश्चित की जा सकती हैं, जैसे डॉक्टर और वकील का व्यवसाय आदि के लिए तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रताएँ असीमित नहीं हैं, अपितु देश की एकता और अखंडता तथा प्रभुसत्ता आदि के आधार पर इन स्वतन्त्रताओं पर राज्य की ओर से उचित प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।